

1.	योजना का नाम	विशेष पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना						
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	इस योजना में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा में एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।						
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2010-11 (अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ)						
4.	लाभान्वित वर्ग	विशेष पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी))						
5.	पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> • आवेदक विशेष पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो। • वह राजस्थान का मूल निवासी हो। • अभ्यर्थी के माता-पिता/अभभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो। • अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देना होगा कि उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है। • जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभ नहीं दिया जायेगा। 						
6.	देय सुविधाएं	<p>संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले विशेष पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी:-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td> <td style="text-align: right;">रुपये 65,000</td> </tr> <tr> <td>2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td> <td style="text-align: right;">रुपये 30,000</td> </tr> <tr> <td>3. साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर</td> <td style="text-align: right;">रुपये 5,000</td> </tr> </table> <p>(अन्तिम रूप से चयन)</p>	1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 65,000	2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 30,000	3. साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 5,000
1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 65,000							
2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 30,000							
3. साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 5,000							

	देय सुविधाएं	<p>राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 25,000 2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000 3. साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर रूपये 5,000 <p>(अन्तिम रूप से चयन)</p> <p>अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस राशि का उपयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा/ राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।</p>
7.	आवेदन का तरीका	आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> • मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। • जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। • आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति। • शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका/ प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति। • प्रतियोगी प्रारम्भिक/ मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। • पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने व राजकीय सेवा में होने/ न होने संबंधी विवरण, तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग सिविल सेवा परीक्षा/ राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही किया जायेगा, सम्बन्धी अभ्यर्थी का शपथ-पत्र। • बैंक पास बुक की फोटो प्रति।
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग